



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

फ़ोन: 0542-2280326 ईमेल: vdavaranasi@gmail.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण के लालपुर लैण्डमार्क टावर फेज 1, लालपुर द्वितीय चरण, रामनगर, बड़ी गैबी, पाण्डेयपुर प्रथम, द्वितीय व तृतीय एवं कोनिया आवासीय योजना के अन्तर्गत रिक्त आवासीय सम्पत्तियों को नीलामी द्वारा प्राप्त करने का सुअवसर :-

नीलामी हेतु उपलब्ध आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आरक्षित न्यूनतम मूल्य रु० लाख में	पंजीकरण धनराशि 10 प्रतिशत (रु० में)
1.	लालपुर-1(लैण्डमार्क टावर फेज-1)	ई० 7/1	आवास	139.07 (3 बेडरूम)	68.68	687,000.00
2.	लालपुर-2	ई०-339	आवास	24.09	24.63	246,500.00
3.	लालपुर-2	ई०-340	आवास	26.01	17.10	171,000.00
4.	लालपुर-2	ई-147	आवास	22.28	12.84	128,500.00
5.	बड़ी गैबी	ई.बी.-141	आवास	22.28	11.39	114,000.00
6.	बड़ी गैबी	ई.बी.-151	आवास	22.28	8.83	88,500.00
7.	बड़ी गैबी	ई.बी.-177	आवास	22.29	12.48	125,000.00
8.	बड़ी गैबी	ई.बी.-272	आवास	22.29	11.16	112,000.00
9.	बड़ी गैबी	ई.बी.-111	आवास	22.28	13.83	138,500.00
10.	बड़ी गैबी	ई.बी.-260	आवास	22.28	13.55	135,500.00
11.	बड़ी गैबी	ई.बी.-56	आवास	22.28	16.99	170,000.00
12.	पाण्डेयपुर-1	एम.एम.-37	आवास	57.84	52.11	520,200.00
13.	पाण्डेयपुर-1	ई-31	आवास	24.71	6.41	63,000.00
14.	पाण्डेयपुर-2	ई-43	आवास	25.30	14.68	147,000.00
15.	पाण्डेयपुर-3	ई-12/1	आवास	24.09	17.58	176,000.00
16.	पाण्डेयपुर-3	ई-12/2	आवास	24.67	22.24	222,500.00
17.	पाण्डेयपुर-3	ई-9/5	आवास	23.10	13.85	138,500.00
18.	पाण्डेयपुर-3	ई-9/8	आवास	23.10	13.82	138,200.00
19.	पाण्डेयपुर-3	ई-16/5	आवास	23.10	13.37	133,700.00
20.	पाण्डेयपुर-3	ई-11/7	आवास	23.10	9.55	95,500.00
21.	कोनिया	ई-18	आवास	25.95	17.72	178,000.00
22.	कोनिया	ई-17	आवास	25.95	8.86	89,000.00
23.	कोनिया	ई-56	आवास	25.95	17.72	178,000.00
24.	कोनिया	ई-57	आवास	25.95	17.72	178,000.00
25.	कोनिया	ई-21	आवास	25.97	8.86	87,000.00

आवंटन की शर्तें :-

- सम्पत्तियाँ "जहाँ हैं, जैसे हैं" की स्थिति में नीलाम की जांगी। आवेदक द्वारा आवेदन करने से पूर्व विज्ञापित सम्पत्तियों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से किसी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
- भूखण्ड के मूल्य के अतिरिक्त कार्नेर भूखण्ड पर 10 प्रतिशत कार्नेर शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
- लीज की सम्पत्तियों के मूल्य के अतिरिक्त, सम्पत्ति में भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत प्री-पेड लीज रेंट देय होगा।
- सम्पत्ति का कब्जा वास्तविक माप के अनुसार आवंटी को लेना अनिवार्य होगा। यदि क्षेत्रफल या आकार पूर्व सूचित/विज्ञापित क्षेत्रफल या आकार से भिन्न होगा तो संशोधन की स्थिति के अनुसार आवंटी को धनराशि भुगतान करना होगा।
- किसी भी नीलामी में कम से कम दो अभ्यर्थी होंगे। विशेष परिस्थितियों में क अभ्यर्थी (बोलीदाता) के पक्ष में भी विचार किया जा सकता है, परन्तु इसके लिए उसकी पूर्ण विवेचना जैसे प्रश्नगत सम्पत्ति कितनी बार नीलामी में लगाई गयी, कितनी बोली आयी थी, सम्पत्ति में क्या खराबी अथवा अन्य क्या कारण हैं जिससे नीलामी बोली कम आई है, का सत्यापन करने के बाद ही विषय उपाध्यक्ष को निर्णयार्थ अग्रसारित किया जायेगा, जिसपर उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
- नीलामी, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की स्वीकृति के उपरान्त ही अन्तिम होगी।
- आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से सम्पत्ति मूल्य की 25% धनराशि 01 माह में जमा करनी अनिवार्य होगी। नीलामी की तिथि से 06 माह के अन्तर्गत सम्पत्ति की सम्पूर्ण धनराशि आवंटी को अनिवार्यतः जमा करनी होगी। समय से धनराशि जमा न किये जाने पर नीलामी/आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा, तथा सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए उक्त के अतिरिक्त जमा शेष धनराशि में से 25% की कटौती कर ली जायेगी।
- नीलामी व सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी का निर्णय अन्तिम होगा।
- सभी आवेदक प्राधिकरण के वेबसाइट लिंक <https://eauction.vdavn.com/home> पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग के मो० न० 9616536355, 9580956031 से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी
(सम्पत्ति)